"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30- 2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2011—आश्विन 20, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7291/डी. 196/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

विषय-सूची

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.

2. परिभाषाएं.

3. नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार.

4. नियत समय में लोक सेवा प्रदाय करने का दायित्व, परिव्यय का अधिरोपण, वसूली एवं भुगतान.

5. सक्षम अधिकारी की नियुक्ति.

6. लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर दायित्व.

7. अपील का अधिकार.

8. सेवा की शर्त समझा जाना.

9. नियम बनाने की शक्ति.

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों अथवा अभिकरणों द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को कतिपय लोक सेवाओं का प्रदाय करने, तथा व्यतिक्रम की दशा में ऐसी सेवाओं के संदाय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करने तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ तथा लागू होना.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

(4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में किन्हीं सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, को लागू होगा.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;— परिभाषाएं.

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारी या अभिकरणों द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों या अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया हो;

(ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, शासन का विभाग या स्थानीय निकाय, प्राधिकारी या अभिकरण का कक्ष, प्रभाग, शाखा, कार्यालय या संघटक इकाई, यथास्थिति, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है एवं उसमें सम्मिलित है, कोई प्राधिकारी, नगरपालिका, पंचायत या कोई अन्य निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर लोक सेवा प्रदाय किये जाने के लिये विधि द्वारा तत्समय निहित किया गया हो, या जो उसके विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में ऐसी सेवाओं का नियंत्रण, प्रबंधन या विनियमन करता हो;

(च) "लोक सेवा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित नागरिकों से संबंधित लोक सेवायें;

(छ) "अधिसूचना" तथा "अधिसूचित" से अभिप्रेत है, जहां संदर्भ से इस प्रकार अपेक्षित है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;